न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 48/2022

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट्स**

छविकंवर पुत्री स्व. नाथुसिंह पत्नी योगेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी डेगाना गांव हाल निवासी प्लोट नं. 112 गणेश नगर विस्तार, झोटवाडा हरनाथपुरा, जयपुर जिला जयपुर राजस्थान

1 नगेन्द्रसिंह पुत्र स्व. नाथुसिंह जाति राजपूत निवासी डेगाना गांव तहसील डेगाना जिला नागौर, राजस्थान।

2 नायब तहसीलदार, डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान।

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र राज कल्ला अधिवक्ता, रेस्पोडेंन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से।

दिनांक 18.10.2023

निर्णय

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार डेगाना मौजा डेगाना गांव के नामान्तरकरण सं. 1069 निर्णय दिनांक 15.06.1995 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.10.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 21.10.2022 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री देवेन्द्र राज कल्ला अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 1069 की फोटोप्रति, ग्राम डेगाना के खसरा नं. 874 की चालू खतौनी की फोटोप्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, अपीलांट की दसवी की अंकतालिका की फोटोप्रति, अपीलांट के विवाह प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, फोटोग्राफ की फोटोप्रति, अपीलांट के पेनकार्ड की फोटोप्रति, अपीलांट की जन्मपत्री की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 सगे भाई बहिन है जो स्व. नाथुसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी डेगाना गांव के विधिक उतराधिकारी हुए, रहे व है। अपीलांट के पिता स्व. नाथुसिंहजी के कब्जासुद खातेदारी के अपील में दर्ज खेताय साबिका खसरा नम्बर 583, 98, 562, 412, 591/5 मौजा डेगाना गांव तहसील डेगाना में दीगर खसरान के साथ स्थित रहे थे। अपीलांट के पिता नाथूसिंह का देहांत सन् 1995 मे हो गया। उस समय खातेदार स्व. नाथूसिंह के विधिक उतराधिकारीगण में उनकी पत्नी मनमोहनकंवर, पुत्र नगेन्द्रसिंह व पुत्री अपीलांट छविकंवर हुए, रहे व अपीलांट के पिता की मृत्यु हुई उस समय अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 दोनो नाबालिग थे व उनकी माता ही उनकी संरक्षक थी, लेकिन विरासत का जो फौतगी नामान्तरकरण नाथुसिंह के बाद दर्ज किया गया उसमें अपीलांट जो कि नाथुसिंह की जायंदा पुत्री व विधिक उतराधिकारी थी उसका नाम दर्ज नहीं किया गया व केवल अपीलांट की माता मनमोहनकंवर व अपीलांट के भाई रेस्पोडेंट संख्या 1 नगेन्द्रसिंह के ही नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि मौके पर उक्त पुश्तेनी खेताय पर स्व. नाथुसिंह के तीनो वारीसान यानी पत्नी, पुत्र व पुत्री का संयुक्त कब्जा हक अधिकार कानूनन हुआ, रहा। लेकिन उक्त नामान्तरकरण के आधार पर कालान्तर में अपीलांट की माता मनमोहनकंवर का देहान्त होने पर केवल अपीलांट के भाई रेस्पो. संख्या 1 नगेन्द्रसिंह के ही नाम म्यूटैशन होता गया व इनकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं हो सकी व अपीलांट का मौके पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के साथ लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त रहता चला आया है व अपीलांट के भाई रेस्पो. स. 1 के बाद में सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हेाते हुए भी इस बारे में अपीलांट को जानकारी नहीं होने दी व उतरोतर त्रुटिपूर्वक इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाता गया व हाल ही में अपीलांट ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को अलग करवाने हेतु रेस्पोडेंन्ट संख्या 1 को कहा व के.सी.सी. लौन लेने की इच्छा प्रकट की तो रेस्पोडेन्ट संख्या भडक गया व उसने अपीलांट को कहा कि तेरा कब्जा जरूर है मगर राजस्व रेकर्ड मे तेरे नाम की कोई खातेदारी दर्ज नहीं है व अपीलांट को उक्त भूमियो से सदेव के लिए बेदखल करने की धमकी देने व उतरोतर हस्तान्तरण हेतु सौदेबाजी की बाते करने पर अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवाई तब दिनांक 13.10.2022 को

अपर कलक्टर, नागौर

कथित मूल नामान्तरकरण संख्या 1069/दिनांक 15.06.1995 व अन्य रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां मिलने पर उनको पढाने पर सर्वप्रथम कथित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 13.10.2022 को हुई व अपील करने की कानूनी सलाह मिलने पर दिनांक 14.10.2022 नागौर आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर सारी जानकारी दी तत्पश्चात दिनांक 15.10.2022 व दिनांक 16.10.2022 को सरकारी अवकाश होने से बिना देरी के अपील पेश की गई तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1998 पेज 329 से 324, आरआरडी 1992 पेज 173 से 177, आर आर डी 1986 पेज 07 से 09 तक नजीरे पेश की। जबकि वकील रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा कथन किया गया कि हस्तगत खसरा नम्बर 583, 98, 562, 412, 591/5 मौजा डेगाना गांव तहसील डेगाना का उतरदाता अप्रार्थी संख्या 1 विधिक रूप से काबिज खातेदार है। अपीलांट के पिता नाथुसिंह के देहान्त की तारीख, महिना, कहां मृत्यु हुई इसके संबंध में स्पष्ट अभिकथन नहीं किये है इस कारण अपूर्ण व अस्पष्ट अभिवचनो का जवाब दिया जाना संभव नहीं है। नामान्तरकरण के समय मौके आदि की जांच करके विधिवत नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। मौके पर अपीलांट का कोई कब्जा आदि नहीं है। अपीलांट को पूर्व नामान्तरकरण व तत्पश्चात माता के देहान्त के बाद हुए नामान्तरकरण की शुरू से ही जानकारी रही है मगर पूर्व में कभी कोई ऐतराज नहीं किया न ही अपीलांट का कब्जा है इस कारण अब उक्त अपील मियाद में शुमार योग्य कतई नहीं हो सकती है। यहां यह लिखना भी आवश्यक होगा कि राजस्व भूमियो में सहदायिकी का प्रावधान लागू नहीं होता है इसलिए अपीलांट का नाम कथित नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना कतई आवश्यक नही था। यह गलत है कि हाल ही में अपीलांट ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि को अलग करवाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 को कहा हो व के.सी.सी. लान लेने की इच्छा प्रकट की तो रेस्पोडैंट संख्या 1 भडक गया हो व उसने अपीलांट को कहा हो कि तेरा कब्जा जरूर है मगर राजस्व रेकर्ड में तेरे नाम की कोई खातेदरी दर्ज नहीं है, वगैरा तमाम तथ्य बनावटी, झुठे होने से अस्वीकार है। अपीलांट का कोई हक अधिकार होता तो इतने समय तक चुप नहीं रहती समक्ष न्यायालय में हको की घोषणा के लिए दावा अवश्य करती, सीधा अपील पेश करने का अधिकार नहीं है वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए भी अनावश्यक व बिना अर्जेन्सी के यह अपील की है जो पोषणीय नहीं है। यह गलत है कि अपीलांट ने राजस्व रेकर्ड की जानकारी करवाई तब दिनांक 13.10.2022 को कथित मूल नामान्तरकरण संख्या 1069/दिनांक 15.06.1995 व अन्य रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां मिलने पर उनको पढाने पर सर्वप्रथम कथित नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 13.10.2022 को हुई हो। अपील करीब 28 साल बाद पेश की गयी है देरी का कोई माकूल व पर्याप्त कारण नहीं है इस कारण अपील किसी भी सुरत में अन्तर मियाद शुमार योग्य नहीं है इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रकरण मे अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र व उसके समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निष्कर्ष भी प्रकरण मे आगे दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति मे मामले मे नरम रूख अपनाते हुए मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– नामान्तरकरण जेर अपील कतई गलत, विधि विरूद्व व बिना विधिक जांच किये प्रस्तावित व स्वीकृत करने में कानूनी त्रुटि होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अपीलांट के पिता नाथुसिंह की मृत्यु होने पर पटवार हल्का, आर.आई. हल्का को यह भलीभांति जानकारी थी कि स्व. नाथुसिंह के विधिक वारीसान में उनकी पत्नी, पुत्र के अलावा एक जीवित संतान पुत्री भी है इसके बावजूद भी जांच करने बाबत रिपोर्ट करते हुए उक्त म्यूटैशन स्वीकृति हेतु नायब तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया व नायब तहसीलदार डेगाना ने ही के गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर म्यूटैशन स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलांट के भाई व माता के साथ साथ अपीलांट का नाम भी नाथुसिंह के उतराधिकारी के रूप में फौतगी नामान्तरकरण में दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया गया है जिसमें भी नामान्तरकरण जैर अपील विधि सम्मत नहीं है आधे अधुरे उतराधिकारीगण के नाम स्वीकृत किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–नामान्तरकरण जैर अपील से संबंधित दर्ज भूमियां अपीलांट की पुश्तेनी कब्जा काश्त खातेदारी की भूमियां रही है जो भूमियां अपीलांट के पिता नाथुसिंह के कब्जासुद खातेदारी की थी व उनके जीवनकाल में ही अपीलांट व दीगर वारीसान का संयुक्त कब्जा रहा था व अपीलांट के पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमियों पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व इनकी माता का शामलाती कब्जा काश्त रहा व अपीलांट की माता के देहान्त के बाद अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 का शामलाती कब्जा रहा, इसके बावजूद भी उक्त अपीलांट के पिता के फौतगी नामान्तरकरण में जानबूझ कर या किसी गलती या लापरवाही के कारण नाम दर्ज करने से रह जाने की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम उतरोतर गलत खातेदारी दर्ज हुई है व जमीनो के भाव बढ जाने से अब रेस्पो. संख्या 1 की नियत खराब हो गयी है अपनी सगी बहिन व स्व. नाथुसिंह की जांयदा पुत्री को उक्त भूमियों में निहित 1/2 हिस्से से वंचित करने पर आमादा है जो कतई उचित नहीं है अपीलांट के विधिक

अपर कलक्टर, नागौर

अधिकार संकटमय हो गयी है जिससे नामान्तरकरण जैर अपील अपास्त/संशोधित कर अपीलांट का नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है।

{2}(IV)–उपरोक्त भूमियां अपीलांट की पुश्तेनी भूमियां होने से व शुरू में अपीलांट के पिता नाथुसिंह की खातेदारी की होना राजस्व रेकॉर्ड से साबित है व अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 धर्म से हिन्दू होने व हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होने तथा दोनो ही स्व. नाथुसिंह के पुत्र व पुत्री होना स्वीकारसुदा तथ्य होने व अपीलांट स्व. नाथुसिंह की विधिक उतराधिकारी होने से रेस्पो. संख्या 1 के बराबर अपीलांट भी उक्त आराजी के नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है जिससे भी आदेश जैर अपील अपास्त कर अपीलांट व रेस्पो. संख्या 1 दोनो का संयुक्त नाम 1/2–1/2 हिस्सा अनुसार दर्ज करवाया जाना आवश्यक है।

{2}(V)– नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज खसरान स्व. नाथुसिह के कब्जासुद खातेदारी के थे लेकिन बाद में दीगर पारिवारिक सदस्यो के साथ हुए बंटवाडे में वर्तमान खसरा नम्बर 893 जो हनुमानसिंह व धूपकंवर के नाम दर्ज होने का खतौनी में इन्द्राज होने से शेष बचे वर्तमान खसरा नम्बर 126, 558, 846, 874 के संबंध में ही वर्तमान अपील है जिससे अन्य कोई इस अपील मे आवश्यक पक्षकार नहीं है।

{3} वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा आदि नहीं है। अपीलांट का कोई हक अधिकार होता तो इतने समय तक चुप नहीं रहती समक्ष न्यायालय में हको की घौषणा के लिए दावा अवश्य करती, सीधा अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट ने जो रेस्पोडेन्ट की बहिन होने के दस्तावेज पेश किये वह प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया के तहत् भरा है जो यथावत् कायम रखा जावे तथा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में मौजा डेगाना गांव के नामान्तरकरण सं. 1069 दिनांक 15.06.1995 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाही से पूर्व संबंधित पक्षकारो की संपूर्ण जानकारी/जांच की जानी चाहिये थी। अपीलांट को उक्त कार्यवाही से पूर्व सुना गया हो, ऐसा भी प्रतीत नही होता है। नामान्तरकरण बिना विधिक प्रक्रिया के पालना के भरा जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा डेगाना गांव के नामान्तरकरण सं. 1069 निर्णय दिनांक 15.06.1995 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिक वारिसान की जांच कर, दोनो पक्षो को नोटिस देकर शहादत, सबूत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर